रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 1985/आषाढ़ 29, 1907

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 1985/ASADHA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड IV
PART II—Section IV

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रेल मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1985

का. नि. आ. 157.—छावनियों में सम्पत्ति के अन्तरण (सूचना-प्ररूप और ऐसी सूचना देने की रीति) से संबंधित कतिपय नियमों का एक प्रारूप, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 द्वारा अपेक्षित के अनुसार भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-4, तारीख 4 अगस्त, 1984 को प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 164, तारीख 4 जुलाई, 1984, में प्रकाशित किया गया था और सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ,

और केन्द्रीय सरकार ने उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया है जो प्राप्त हुए हैं ,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनियों में सम्पत्ति के अन्तरण (सूचना-प्ररूप और ऐसी सूचना देने की रीति) से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1 नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनियों में सम्पत्ति का अन्तरण (सूचना-प्ररूप और सूचना देने की रीति) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है,

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ।

प्ररूप "ग"

(नियम 3 देखिए।)

(जब अन्तरण न्यायगमन द्वारा हुआ हो तब दी जाने वाली अन्तरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

कार्यपालक अधिकारी,

छावनी बोर्ड,

. . . . .छावनी

महोदय,

मैं. . . . . .निम्नलिखित सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, सूचना देता/देती हूं :—

सम्पत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	वह नाम जिस नाम में इस समय सम्पत्ति छावनी बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज है और उसकी मृत्यु की तारीख	किसके नाम में इस अंतरित किया जाना है और मृतक से उसका सम्बन्ध	इसके अन्तर्गत क्या क्या	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्याक	भूमि सीमाएं की विमाएं	टिप्पणियां

पिछले बिल के संदाय की तारीख :

पिछले बिल की अवधि :

हस्ताक्षर. . . . .(कख). . . . .

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th June, 1985

S.R.O. 157.—Whereas a draft of certain rules relating to transfer of property in Cantonments (Form of Notice and manner of giving such Notice) was published as required by Section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. SRO 164 dated the 4th July, 1984, in the Gazette of India, Part-II Section 4, dated the 4th August, 1984, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification.

And whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now therefore in exercise of the powers conferred by Section 280 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to transfer of property in Cantonments (Form of Notice and manner of giving such Notice):—

1. Title and Commencement:—(1) These rules may be called the transfer of property in Cantonments (Form of Notice and manner of giving such Notice) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Definitions:—In these rules, unless there is anything repugnent in the subject or context:—

(a) 'Act means, the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

(b) 'Form' means, the forms annexed to these rules;

3. Notice of transfer of title:—(1) The notice regarding transfer of title required to be given under sub-section (1) of section 73 of the Act shall be either in the Form 'A' or Form 'B' as the case may be and such notice required to be given under sub-section (2) of the section 73 shall be in Form 'C'. The Notice shall state clearly and correctly of the particulars required by the said form.

(2) On receipt of any such notice, the Executive Officer may, if he thinks it necessary, required the production of an instrument of transfer, if any, or of a copy thereof obtained under section 57 of the Indian Registration Act 1908 or, in case of transfer of the title of a deceased person any other document constituting evidence of such transfer.

4. Taxes to be paid up-to-date.—No such notice shall be deemed to be validly given unless all the taxes relating to that property due at the date of the notice in respect of the premises to which it relates have been paid in full.

5. Saving:—The transfer affected in assessment list maintained by the Cantonment Board shall not confer more rights than those available under section 73 of the Act.

6. Manner of service of the Notice:—(1) Every notice given under these rules shall be given or presented:—

(a) by giving of tendering the notice to the Executive Officer or his authorised servant of the Board;

(b) by registered post with acknowledgement due addressed to the Executive Officer.

(2) When any such notice is given or tendered to the Executive Officer, or his authorised servant of the Board the person concerned may obtain acknowledgement of the receipt of the same in such form as prescribed by the Executive Officer.

[File No. 53|17|C|L&C|83|3656-D(Q&C)]

3 हक के अन्तरण की सूचना : (1) अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित हक के अन्तरण की बाबत सूचना या तो प्ररूप 'क' में होगी या प्ररूप 'ख' में, और धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित ऐसी सूचना प्ररूप "ग" में होगी । सूचना में उक्त प्ररूप में अपेक्षित विशिष्टियां स्पष्ट और शुद्ध रूप से कथित की जाएंगी ।

(2) किसी ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर कार्यपालक अधिकारी, यदि वह आवश्यक समझता है तो, अन्तरण की लिखत, यदि कोई है, या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57 के अधीन अभिप्राप्त की गई उसकी प्रतिलिपि अथवा, किसी मृत व्यक्ति के हक के अन्तरण की दशा में, कोई अन्य दस्तावेज जो ऐसे अन्तरण का साक्ष्य है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

4 करों का अद्यतन संदत्त किया जाना : ऐसी कोई भी सूचना तब तक विधिमान्य रूप से दी गई नहीं मानी जाएगी जब तक कि उस परिसर की बाबत जिससे वह सूचना संबंधित है, सूचना की तारीख को शोध्य उस सम्पत्ति से संबंधित सभी करों का पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता ।

5 व्यावृत्ति : छावनी बोर्ड द्वारा बनाए रखी गई कर-निर्धारण सूची में किए गए अन्तरण से उन अधिकारों से अधिक अधिकार प्रदत्त नहीं होंगे जो अधिनियम की धारा 73 के अधीन उपलब्ध हैं ।

6 सूचना तामील करने की रीति : (1) इन नियमों के अधीन दी जाने वाली प्रत्येक सूचना :--

(क) कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड के उसके प्राधिकृत सेवक को सूचना देकर या निविदत्त करके,

(ख) कार्यपालक अधिकारी को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसी सूचना कार्यपालक अधिकारी को, या बोर्ड के उसके प्राधिकृत सेवक को दी या निविदत्त की जाती है तो संबंधित व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में जैसा कार्यपालक अधिकारी विहित करे, उसकी अभिस्वीकृति रसीद प्राप्त कर सकेगा ।

[फाइल संख्या 53/17/स. व छा./83/3656/ड (क्यू.एण्ड.सी.)]

प्ररूप 'क'

(नियम 3 देखिए)

जब अन्तरण लिखत द्वारा किया गया हो तब दी जाने वाली अन्तरण सूचना का प्ररूप

सेवा में,

कार्यपालक अधिकारी,

छावनी बोर्ड,

....................छावनी

मैं....................निम्नलिखित सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, सूचना देता हूं/देती हूं :--

सम्पत्ति का विवरण

सूचना की तारीख	लिखत की तारीख	छावनी बोर्ड के अभिलेखों में विक्रेता या समनुदेशिक का नाम	क्रेता या समनुदेशिती का नाम	प्रतिफल की रकम है	इसके अंतर्गत क्या है	अवस्थान	निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि सीमाएं की विमाएं	यदि लिखत को रजिस्टर किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख	टिप्पण

पिछले बिल के संदाय की तारीख :

हस्ताक्षर........(कख)........

पिछले बिल की अवधि :

प्ररूप "ख"

(नियम 3 देखिए)

(जब अन्तरण लिखत से अन्यथा किया गया हो तब दी जाने वाली अन्तरण सूचना का प्ररूप)

सेवा में,

कार्यपालक अधिकारी,

छावनी बोर्ड,

....................छावनी

महोदय,

मैं.......... ....निम्नलिखित सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित, सूचना, देता हूं/देती हूं :--

सूचना की तारीख	वह नाम, जिस नाम में इस समय सम्पत्ति छावनी बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज है	किस के नाम में इसे अन्तरित किया जाना है और वह तारीख जिसको अन्तरण किया गया है	इसके अंतर्गत क्या क्या है	अवस्थान	कर निर्धारण सूची में संख्यांक	भूमि की सीमाएं विमाएं	टिप्पण

पिछले बिल के संदाय की तारीख :

हस्ताक्षर....................

पिछले बिल की अवधि :

FORM-A

(See Rule 3)

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has been effected by instrument.)

To

The Executive Officer,
Cantonment Board,
........................Cantonment.

I,..hereby give notice, as required by sub-section (1) of section 73 of the Cantonments Act, 1924 of the following transfer of property :—

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Date of notice	Date of instrument	Name of vendor or assigner in Cantonment Boards Records	Name of purchaser or assignee	Amount of consideration	Of what it consists	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	If instrument has been registered date of registration	Remarks

Date of payment of the last bill :
Period of the last bill :

Signed (A.B.)..........

FORM–B

(See Rule 3)

(Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place other than by instrument)

To

The Executive Officer,
Cantonment Board,
..................CANTONMENT.

Sir,

I,................................hereby given notice as required by sub-section (1) of Section 73 of the Cantonments Act, 1924, of the following transfer of property :—

Date of notice	Name of which the property is at present entered in the Cantonment Board records	To whose name it is to be transferred and the date on which transfer is effected	Of what it consists	Situation	Number in assessment list	Dimensions of lands	Boundaries	Remarks

Date of payment of the last bill :
Period of the last bill :

Signed ....

FORM–C

(See Rule 3)

[Form of notice of transfer to be given when the transfer has taken place by devolution)

To

The Executive Officer,
Cantonment Board,
..............................Cantonment.

Sir,

I,.., hereby give notice, as required by sub-section (2) of section 73 of the Cantonments Act, 1924 of the following transfer of property :—

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Date of notice	Name in which the property is at present entered in the Cantonment Board records and his/her date of death	To whose name it is to be transferred and his relation with the deceased	Of what it consists	Situation	Number in assessment list	Dimensions of land	Boundaries	Remarks

Date of payment of the last bill :
Period of the last bill :

Signed ....(A.B)......

नई दिल्ली, 24 जून, 1985

का. नि. आ. 158.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य कमान द्वारा मेजर एस. पी. शरद का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाईल संख्या 19/17 सी/भू. व छा./65/3324/डी (क्यू. एण्ड सी)]

New Delhi the 24th June, 1985

S.R.O. 158.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Bareilly by reason of the acceptance by the General Officer Commanding in-Chief, Central Command of the resignation of Maj SP Sharad.

[F. No. 19|17|C|L&C|65|3324-D(Q&C)]

का. नि. आ. 159.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा मेजर जसवंत सिंह को छावनी बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन मेजर एस. पी. शरद के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाईल संख्या 19/17/सी/भू.व.छा./65/3324/डी(क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 159.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major Jaswant Singh has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Bareilly vice Major SP Sharad who has resigned.

[F. No. 19|17|C|L&C|65|3324-D(Q&C)]

का. नि. आ. 160.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिम कमान द्वारा ले. कर्नल आर. एस. सेखों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, अम्बाला में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाईल संख्या– 19/8/सी./भू. व छा. / 78/3325/डी(क्यू. एण्ड सी)]

S.R.O. 160.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cenral Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ambala by reason of the acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command of the resignation of Lt. Col. R. S. Sekhon.

[F. No. 19|8|C|L&C|78|3325-D(Q&C)]

का. नि. आ. 161.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा कर्नल ओ. पी. ग्रोवर को छावनी बोर्ड, अम्बाला का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन लें. कर्नल आर. एस. सेखों के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फाईल संख्या 19/8/सी./भू. व छा./78/ 3325/डी. (क्यू. एण्ड सी)]

S.R.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Col. OP Grover has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board, Ambala vice Lt. Col. R. S. Sekhon who has resigned.

[F. No. 19|8|C|L&C|78|3325-D(Q&C)-85]

का. नि. आ. 162.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा श्री प्रदीप गुप्ता अधिशासी मैजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप छावनी बोर्ड, जम्मू में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाईल संख्या/19/58/सी./भू. व.छा./78/3323/डी/(क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 162.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jammu by reason of the acceptance by the General Officer Commanding in-Chief, Northern Command of the resignation of Shri Pradeep Gupta Executive Magistrate.

[F. No: 19|58|C|L&C|78-3323-D(Q&C)]

का. नि. आ. 163.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट जम्मू से उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दलीप सिंह अधिशासी मैजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, जम्मू का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री प्रदीप गुप्ता अधिशासी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाईल संख्या-19/58/सी/भू. व.छा./78/3323/डी (क्यू. एण्ड सी.)]

करतार सिंह, अवर सचिव

S.R.O. 163.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Shri Dalip Singh Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board Jammu by the District Magistrate Jammu in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 13 of that Act vice Shri Pradeep Gupta Executive Magistrate whose resignation has been accepted.

[F. No. 19|58|C|L&C|78|3323-D(Q&C)]

KARTAR SINGH, Under Secy.